न्यायालय सिविल जज(जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट,जिला बिजनौर।
एफ 0 आर 0 वाद सं0–324/2012
मु0 अ 0 सं0–228/1996
वादी मुकदमा नवीशेरखां बनाम आरिफ आदि।
धारा–324 भा.दं.सं.
थाना–नजीबाबाद, जिला बिजनौर।

31.07.2026

पत्रावली पेश हुई। परिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि परिवादी को बार–बार नोटिस प्रेषित किया जा रहा है, किन्तु परिवादी न्यायालय उपस्थित नहीं आ रहा है। ऐसा दर्शित होता है कि परिवादी प्रस्तुत अन्तिम आख्या पर बल नहीं देना चाहता है। परिवादी को बार–बार नोटिस प्रेषित किये जा चुके हैं, किन्तु वह उपस्थित नहीं आ रहा है।

परिवादी ने उपरोक्त वाद थाना हाजा पर दर्ज कराया था। वाद उपरोक्त में विवेचक द्वारा एफ.आर. लगा दी गयी है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रस्तुत अन्तिम आख्या में वादी मुकदमा द्वारा कोई अग्रिम कार्यवाही नहीं चाही गयी है एवं विवेचनाधिकारी द्वारा लगायी गयी अन्तिम आख्या से संतुष्ट है, अतः अन्तिम आख्या स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

विवेचक द्वारा मु0 अ 0 सं0–228/1996 में प्रस्तुत अन्तिम आख्या संख्या–52/1996, धारा–324 भा.दं.सं., थाना नजीबाबाद, जिला बिजनौर स्वीकार की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफतर हो।

(अरुण सिंह राठौर)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
नजीबाबाद, बिजनौर।
यू.पी.3716